

पीसीएच-एचए (1) 10/2008-9223-273
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक: प्रधान सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश।

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171 009, दिनांक 15 जुलाई, 2011

विषय:- परिवार रजिस्टर में प्रविष्टियों बारे दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबन्ध में विभाग के संज्ञान में यह आया है कि पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों अर्थात् पंचायत सहायकों व पंचायत सचिवों में परिवार रजिस्टर से संबन्धित नियमों के प्रावधानों की अज्ञानतावश कुछ अपात्र व्यक्तियों, जो की मूल रूप से भारत के नागरिक भी नहीं हैं, के नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज किये जा रहे हैं। जिस कारण ऐसे व्यक्ति अवैध रूप से सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।


इस संदर्भ में आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 21 के उप-नियम (1) से (4) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना से सभा स्थापित करने के पश्चात् प्रत्येक ग्राम सभा के लिए इन नियमों के प्ररूप-19 में एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें परिवार-बार उन समस्त व्यक्तियों, जो उस गांव के वास्तविक निवासी हैं जो सभा क्षेत्र का भाग है, के नाम और विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी। रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और सम्बन्धित खण्ड के पंचायत निरिक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि वास्तविक निवासीयों का नाम ही परिवार रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में 'वास्तविक निवासी' से अभिप्राय है कि जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर (गृह) है और इसके अन्तर्गत ऐसा

व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 25 वर्ष की अवधि से निवास कर रहा है या ऐसा व्यक्ति जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर है, किन्तु अपनी उपजीविका (व्यवसाय) के कारण वह हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहा है, भी है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत रजिस्टर में प्रविष्टियों करवाने हेतु सर्वप्रथम वास्तविक निवासी होना अनिवार्य है।

अतः परिवार रजिस्टर में प्रविष्टियां करते समय उपरोक्त वर्णित नियम में प्रावधानों का अक्षरक्षः पालन किया जाए। यदि पूर्व में नियमों की अज्ञानतावश कोई गलत प्रविष्टियां परिवार रजिस्टर में की गई हों तो ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रविष्टियों का संशोधन नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित करें।

अतः आप सम्बन्धित कर्मचारियों पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत करवाएं और उनकी मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा हेतु रखा जाए।

भवदीय


विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं०-पीसीएच-एचए (1) 10/2008-
प्रतिलिपि:-

9273
9274-76

दिनांक 15 जुलाई, 2011

1. प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को सूचनार्थ।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वे परिवार रजिस्टर में प्रविष्टियों बारे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके प्रचार करवाने की कृपा करें।
3. श्री उमेश कुमार, कम्प्युटर प्रोग्रामर को उक्त पत्र को विभाग की वैबसाईट पर दर्शित करने हेतु।
4. गार्ड पत्रावली।


विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।